न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 143/2017/223 आरटीए

1. भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट रतन प्रकाश उर्फ रतनलाल आर्य पुत्र भोपाल आर्य मुख्य कार्यालय 146 ट्रांसपोर्ट सैन्टर रोहतक रोड़ पंजाबी बाग (ईस्ट) न्यू देहली 110035 जरिये मुखत्यार रामलाल वर्मा पुत्र जीसुख जाति वर्मा निवासी वार्ड नं. 15 गांव मेहरिया (पीओ शेरड़ा) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट/वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र भोपाल जाति महाजन निवासी शेरड़ा हाल निवासी पी 19 तिवोली कोर्ट 10 फ्लोर 1ए बालीगंज सर्कुलर रोड़ कलकता 700019।
2. सिलोचना पत्नि चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।
3. विवके पुत्र चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।
4. परीक्षत पुत्र चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा मु.न. 17/2015 अनवानी भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट बनाम दयानन्द आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांक 26.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड पेश किया कि ग्राम शेरड़ा की वर्तमान खाता सं. 143/142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 बारानी भूमि भोपाल पुत्र हेमराज की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी। भोपाल पुत्र हेमराज का देहान्त सन् 1983 मे हो गया था एवं भोपाल की मृत्यु पर उनकी उक्त भूमि उनके तीन पुत्रों दयानन्द, चन्द्रमोहन,

रतनलाल के नमा बहिस्सा बराबर विरासतन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई जो वर्तमान रिकार्ड मे यथावत दर्ज है। भोपाल पुत्र हेमराज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के मध्य पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की जायदाद का संयुक्त हिन्दू परिवार मे सुख शांति स्थापित करने हेतु एवं उसके खण्डित होने से बचाने के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से पुख्ता विभाजन सन् 1993 मे हुआ एवं उक्त विभाजन के ताबे ग्राम शेरड़ा की पुश्तैनी सम्पति भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट को देना तय हुआ उक्त ट्रस्ट इसी परिवार द्वारा धार्मिक एवं शैक्षणिक परियोजनाओ एवं जनहितार्थ मे किये जाने वाले कार्यो के लिए गठित किया गया था। उक्त ट्रस्ट नियमानुसार विधिवत रूप से रजिस्टर्ड है उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री रतनलाल आर्य है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अभी राजस्व रिकार्ड मे दयानन्द, चन्द्रमोहन, रतनलाल पि. भोपाल के नाम दर्ज है मुताबिक पारिवारिक समझौता के उक्त भूमि का वादी ट्रस्ट खातेदार काश्तकार हो चुका है। इसलिऐ वादी ट्रस्ट घोषणा पाने का अधिकारी है। जिसमे प्रतिवादीगण उपस्थित न आने के कारण एकपक्षीय वादी की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पो0 सं. 1 ता 4 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज करने का एक आधार यह लिया है कि ''शीर्षक वाद मे वादी ने ट्रस्टी रतनप्रकाश आर्य नाम लिखा है, जमाबंदी मे भोपाल की मृत्यु के बाद भूमि तीनो पुत्रों दयानंद, चन्द्रमोहन, रतनलाल के नाम बहिब विरासतन दर्ज है परन्तु वाद मे यह कही उल्लेख नही किया कि रतनप्रकाश आर्य एवं रतनलाल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।'' इस संबंध मे विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी सिद्ध था कि श्री भोपाल के तीन पुत्र दयानंद, चन्द्रमोहन व रतनलाल ही है। इस तथ्य का विरोध स्वरूप कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही था एवं विचारण न्यायाल के समक्ष ट्रस्ट डीड एवं पारिवारिक समझौता पत्र भी प्रस्तुत हुआ था जिससे भी यह कतई स्पष्ट था कि श्री भोपाल के तीन पुत्र है। जहां तक रतनप्रकाश एवं रतनलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम होने संबंधित साक्ष्य का प्रश्न है, चूंकि पूर्व मे वाद के दौरान ऐसी कोई आपत्ति नही थी परन्तु निर्णय मे उक्त तथ्य का हवाला देते हुए वाद खारिज किया है। इसलिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट ने ग्राम पंचायत शेरड़ा के सरपंच से उक्त तथ्य बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है कि भोपाल पुत्र हेमराज का देहानत हो चुका है जिनके तीन पुत्र दयानन्द, चन्द्रमोहन व रतनप्रकाश है जिसमे रतनप्रकाश को गांव मे रतनलाल के नमा से पुकारते थे वस्तुतः रतनप्रकाश व रतनलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ग्राम शेरड़ा के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 भूमि मे जो 1/3 हिस्सा मे रतनाल पि. भोपाल दर्ज है। वही व्यक्ति रतनप्रकाश है एवं परिवार आर्य विचारधारा का है इसलिये नाम के आगे आर्य शब्द से उन्हे सम्बोधित किया जाता है।

4. अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने का विचारण न्यायालय ने द्वितीय आधार यह लिय है कि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया है जिससे दावा साबित होता हो। जबकि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष ट्रस्ट डीड एवं पारिवारिक समझौता प्रस्तुत किया था जिससे स्पष्ट था कि शेरड़ा मे स्थित पैतृक सम्पति को भी ट्रस्ट के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अपनी सहमति दी है इस पारिवारिक समझौता मे प्रथम पक्ष दयानंद प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 है एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 3 पक्षकार सं0 13, 14, 15 है एवं इनके सहमति स्वरूप पारिवारिक समझौता पर हस्ताक्षर है ऐसी स्थिति मे विचारण की यह अवधारणा की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है कतई गलत है। अपीलांट/वादी व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के मध्य पारिवारिक समझौता के तहत तय होने के पश्चात ही उसी आधार पर उद्घोषणा संबंधित वाद अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर काबिले डिक्री था। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के बाद रेस्पो0/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 बावजूद सूचना न्यायालय के समक्ष आकर किसी प्रकार का कोई विशिष्ट रूप से दावा के तथ्यों को इन्कारी के साथ विरोध प्रस्तुत नही किया जिससे यही अवधारण बनती है कि वादी के वाद का उन्हे विरोध नही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से काबिले अपास्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2017 निरस्त की जाकर दावा अपीलांट/वादी डिक्री किया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

किया जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय न दावा वादी अपीलांट खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि जमाबंदी सम्वत 2071—74 ग्राम शेरड़ा खाता सं. 143 / 142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 भूमि मे भोपाल की मृत्यु पर उनकी उक्त भूमि उनके तीनो पुत्रों दयानंद, चन्द्रमोहन व रतनलाल के नाम बहिब विरासतन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। परन्तु वाद के शीर्षक मे भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी रतनप्रकाश आर्य पुत्र भोपाल आर्य प्रस्तुत किया है। रतनप्रकाश आर्य व रतनलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हो वाद उल्लेख नही किया है एवं केवल मात्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर उनके हको का हस्तान्तरण वादी के पक्ष मे नही किया जाने एवं इस संबंध मे कोई लिखत प्रस्तुत नही करने के कारण दावा खारिज किया है। परन्तु अपीलांट द्वारा अपील मे सरपंच ग्राम पंचायत शेरड़ा का प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2017 का पेश किया है जिसमे यह अंकित है कि रतनप्रकाश व रतनलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ग्राम शेरड़ा मे खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 भूमि मे जो 1 / 3 हिस्सा रतनलाल पि0 भोपाल दर्ज है वही व्यक्ति रतनप्रकाश है। जहां तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि से दयानंद चन्द्रमोहन रतनलाल पुत्र भोपाल का नाम कलमजन कर (भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी रतनप्रकाश आर्य पुत्र भोपाल आर्य मु0 कार्यालय 146 ट्रांसपोर्ट सैन्टर रोहतक रोड़ पंजाबी बाग (ईस्ट) न्यू देहली 110035) वादी के नाम खातेदार दर्ज करने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौते की प्रति प्रस्तुत हुई है इस पारिवारिक समझौते मे पृष्ठ सं. 14 पर गांव शेरड़ा तहसील भादरा की पैतृक सम्पति की व्यवस्था बाबत उल्लेख है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 बतौर प्रथम पक्षकार दर्ज है एवं श्री चन्द्रमोहन एवं उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का इस पारिवारिक समझौते मे क्रमशः 13, 14, 15, 16 बतौर पक्षकार सम्मलित है एवं रतनप्रकाश पुत्र भोपाल आर्य बतौर सत्रंहबी पक्षकार के रूप मे दर्ज है एवं रेस्पो0 सं. 1 / प्रतिवादी का अपीलीय न्यायालय मे शपथ आवेदन पत्र भी उन्हे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जाने के उपरांत प्राप्त हुआ जिसमे उनके द्वारा अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किये जाने मे अनापति जाहिर की है। इसलिये प्रकरण मे प्रस्तुत हुऐ दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत भूमि पैतृक होनी भी सिद्ध है

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार योग्य बनती है एवं दावा अपीलांट वादी डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाकर मुताबिक इस्तदुआ वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2017 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट/वादी का वाद डिक्री किया जाकर अपीलांट वादी ट्रस्ट ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं. 143/142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 बारानी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है राजस्व रिकार्ड मे दयानंद, चन्द्रमोहन रतनलाल पुत्र भोपाल कौम महाजन सा. देह खातेदार की प्रविष्टी कलमजन कर भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी रतनप्रकाश आर्य पुत्र भोपाल आर्य मु0 कार्यालय 146 ट्रांसपोर्ट सैन्टर रोहतक रोड़ पंजाबी बाग (ईस्ट) न्यू देहली 110035) वादी के नाम खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी हाल दुरूस्त की जावे। परन्तु उक्त निर्णय से प्रश्नगत भूमि को वादी ट्रस्ट के नाम पारिवारिक समझौते के कारण दर्ज करने के आदेश दिये गये है जिस हेतु नियमानुसार उप महा निरीक्षक पंजीयन/उप पंजीयक कार्यालय मे नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क भुगतान करने हेतु अपीलांट/वादी उत्तरदायी है इसलिये पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर गांव शेरड़ा तहसील भादरा के खाता सं. 143/142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 भूमि का मुद्रांक शुल्क अपीलांट/वादी द्वारा अदा करने के पश्चात ही अभिलेख मे उक्त निर्णय के अनुसार अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 143/2017/223 आरटीए

1. भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट रतन प्रकाश उर्फ रतनलाल आर्य पुत्र भोपाल आर्य मुख्य कार्यालय 146 ट्रांसपोर्ट सैन्टर रोहतक रोड़ पंजाबी बाग (ईस्ट) न्यू देहली 110035 जरिये मुखत्यार रामलाल वर्मा पुत्र जीसुख जाति वर्मा निवासी वार्ड नं. 15 गांव मेहरिया (पीओ शेरड़ा) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट/वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र भोपाल जाति महाजन निवासी शेरड़ा हाल निवासी पी 19 तिवोली कोर्ट 10 फ्लोर 1ए बालीगंज सर्कुलर रोड़ कलकता 700019।
2. सिलोचना पत्नि चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।
3. विवके पुत्र चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।
4. परीक्षत पुत्र चन्द्रमोहन निवासी शेरड़ा हाल निवासी 21/22 वॉयलेट विला वेस्ट एवेन्यू शांताकुंज वेस्ट बाम्बे 40054।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा मु.न. 17/2015 अनवानी भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट बनाम दयानन्द आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2017 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट/वादी का वाद डिक्री किया जाकर अपीलांट वादी ट्रस्ट ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं. 143/142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 बारानी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है राजस्व रिकार्ड मे दयानंद, चन्द्रमोहन रतनलाल पुत्र भोपाल कौम महाजन

सा. देह खातेदार की प्रविष्टि कलमजन कर भोपाल आर्य वैलफेयर ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी रतनप्रकाश आर्य पुत्र भोपाल आर्य मु0 कार्यालय 146 ट्रांसपोर्ट सैन्टर रोहतक रोड़ पंजाबी बाग (ईस्ट) न्यू देहली 110035) वादी के नाम खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी हाल दुरूस्त की जावे। परन्तु उक्त निर्णय से प्रश्नगत भूमि को वादी ट्रस्ट के नाम पारिवारिक समझौते के कारण दर्ज करने के आदेश दिये गये है जिस हेतु नियमानुसार उप महा निरीक्षक पंजीयन/उप पंजीयक कार्यालय मे नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क भुगतान करने हेतु अपीलांट/वादी उत्तरदायी है इसलिये पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर गांव शेरड़ा तहसील भादरा के खाता सं. 143/142 के खसरा नं. 204 की 2.5800 है0 भूमि का मुद्रांक शुल्क अपीलांट/वादी द्वारा अदा करने के पश्चात ही अभिलेख मे उक्त निर्णय के अनुसार अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.06.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official